तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। साक्ष्य शपथ पत्र रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल बैरवा पुत्र खैरातीलाल जाति बैरवा का पूर्व में पेश होकर शामिल पत्रावली है। तहसीलदार (भू०अ०) बांदीकुई के पत्रांक 184 दिनांक 8-5-25 द्वारा प्रकरण मे रिपोर्ट प्राप्त। शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ दिनांक 27/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) [उप ख]ण्ड अधिकारी [बां]दीकुई (दौसा)
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है की वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के गलत नाम रामगोपाल पुत्र खैरातीलाल के स्थान पर सही दस्तावेजी नाम गोपाल लाल बैरवा पुत्र खैरातीलाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा

क्रमांक / राजस्व / 2025 / दिनांकः—

तहसीलदार
तहसील बांदीकुई, जिला—दौसा

विषय— उनवानी प्रकरण रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल बैरवा मु.न. 110 / 2024 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.06.2025 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा में विचराधीन उनवानी प्रकरण रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल बैरवा मु.न. 110 / 2024 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.06.2025 को पारित निर्णय की पालना की जानी है।

अतः उनवानी प्रकरण रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल बैरवा मु.न. 110 / 2024 में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 27.06.2025 की प्रमाणित प्रति भेजकर लेख है कि वादग्रस्त भूमि में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन जारी ना हो तो निर्णय अनुसार पालना सुनिश्चित करे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(रामसिंह राजावत)
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा
पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
वाद संख्या– 110/2024

रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल बैरवा पुत्र खैरातीलाल जाति बैरवा निवासी बडाबास भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)

–: प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक निर्णय–27.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर ने दिनांक 14.08.2024 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बडाबास पटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 76 पुराना 76 के खखरा नं. 698/511 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नं. 703/499 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 707/498 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नं. 712/500 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 714/506 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 715/508 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नं. 719/510 रकबा 0.04 हैक्टे. कुल किता 07 कुल रकबा 0.79 हैक्टे. है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता आ रहा है।

वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है। जिसमें पिता खैरातीलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम खोला गया विरासत का नामान्तकरण खोलते वक्त प्रार्थी का घर पर बोले जाने वाला नाम रामगोपाल के नाम से खोल दिया जबकि प्रार्थी का दस्तावेजी नाम रामगोपाल के स्थान पर संही नाम गोपाल लाल बैखा है तथा इसी नाम से प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान कार्ड आदि समस्त दस्तावेजात है। प्रार्थी का नाम गोपाल लाल बैखा होने से प्रार्थी प्रधानमंत्री कृषक योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाने से महरूम हो रहा है। इसलिए प्रार्थी का दस्तावेजी नाम रामगोपाल के स्थान पर सही नाम गोपाल लाल बैरवा का इन्द्राज करवाया जाना कानूनन न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दस्तावेजी नाम रामगोपाल के स्थान पर सही नाम गोपाल लाल बैरवा का इन्द्राज किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक/भू0अ0/2025/1865 दिनांक 08.05.2025 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडाबास के खाता संख्या 76 में रामगोपाल पुत्र खैरातीलाल हि0 पूर्ण जाति

१५६–

बैरवा रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पेश आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 वीं मार्कशीट, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम गोपाल लाल पुत्र खैरातीलाल जाति बैरवा दर्ज है। मौके पर उपस्थित लोगो के बताए अनुसार रामगोपाल व गोपाललाल एक ही व्यक्ति है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थी का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज गलत नाम रामगोपाल के स्थान पर सही दस्तावेजी नाम गोपाललाल बैरवा का इन्द्राज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बडाबास पटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 76 पुराना 76 के खखरा नं. 698/511 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नं. 703/499 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 707/498 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा नं. 712/500 रकबा 0.03 हैक्टे., खसरा नं. 714/506 रकबा 0.22 हैक्टे., खसरा नं. 715/508 रकबा 0.04 हैक्टे, खसरा नं. 719/510 रकबा 0.04 हैक्टे. कुल किता 07 कुल रकबा 0.79 हैक्टे. भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज प्रार्थी के गलत नाम रामगोपाल पुत्र खैरातीलाल के स्थान पर सही दस्तावेजी नाम गोपाल लाल बैरवा पुत्र खैरातीलाल का इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई